UPCD010033202022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश चन्दौली
उपस्थित दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी(एच.जे.एस.)
J.O.Code.U.P.5730
सत्र परीक्षण संख्या 580/2022

उत्तर प्रदेश राज्य —अभियोजनपक्ष

प्रति

1.धीरज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली
2.नीरज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली
3.शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह निवासी ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली
—अभियुक्तगण

अपराध संख्या 01/2020
धारा 307, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता
थाना इलिया जनपद चन्दौली

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह उपरोक्त के विरूद्ध थाना इलिया जिला चन्दौली के अपराध संख्या 01/2020, धारा 307, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रेषित आरोपपत्र के आधार पर तत्कालीन सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया चन्दौली द्वारा पारित सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 27—08—2022 पर आधारित है।

2. अभियोजनपक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी विवेक कुमार गौतम पुत्र चन्द्रशेखर सिंह ग्राम वरियारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली का निवासी है। उसके गांव के ग्राम प्रधान का कार्य प्रधान के देवर शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह देखते है। उसके परिवार के द्वारा उनके अवैध कार्यो की जॉच एवं सरकारी धन के दुरूपयोग के सम्बन्ध में जॉच हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया था जिसकी जॉच हुई थी इसकी वजह से धीरज सिंह व नीरज सिंह पुत्रगण रामेश्वर सिंह रंजिश रखते थे और जान से मारने की धमकी दिए थे। दिनांक 01—01—2020 को समय 5.30 बजे शाम को वह अपने पुत्र अर्पित सिंह के साथ महानन्द पाण्डेय के दुकान पर सामान लेने जा रहा था कि जैसे ही मिठाई पाण्डेय के घर के पास पहुंचा कि वहॉ शैलेश सिंह भी आ गये उसको देखकर गाली गुप्ता देते हुए कहने लगे कि साले उनकी जॉच करा रहे हो तुमको जिन्दा नहीं छोड़ेगे। उसने विरोध किया और गाली देने से मना किया इसी बीच नीरज सिंह व धीरज सिंह गाली गुप्ता देते हुए हाथ में असलहा लेते हुए आये और कहे कि इसे जान से मार दिया जाय यह कहते हुए नीरज सिंह ने अपने हाथ में लिए हुए कट्टे से उसको जान से मारने के लिए उसके ऊपर फायर किया परन्तु वह बाल बाल बच गया इतने में ही शैलेश सिंह ने अपने अवैध असलहे से उसके ऊपर फायर किया जो गोली उसके पुत्र अर्पित सिंह के पैर के पंजे में लगी। इस घटना को गवाह चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह,भानु प्रताप सिंह पुत्र हरिवंश सिंह ने देखा। उपरोक्त सभी लोग गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। वह अपने लड़के को लेकर चन्दौली पं0 कमलापति त्रिपाठी चिकित्सालय गया वहॉ डाक्टर ने उपचार के बाद ट्रामा सेन्टर बी.एच.यू वाराणसी रेफर कर दिया।

3. वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम द्वारा घटना की लिखित तहरीर प्रदर्श क—1 दिनांक 02—01—2020 को थाना इलिया जिला चन्दौली में दी गई जिसके आधार पर

Digitally signed by DIWAKAR PRASAD CHATURVEDI
Date: 2026.05.01 12:00:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक 02–01–2020 को समय 09.04 बजे थाना इलिया जिला चन्दौली में अभियुक्तगण धीरज सिंह व नीरज सिंह पुत्रगण रामेश्वर सिंह व शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह निवासीगण ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली के विरूद्ध थाना इलिया जिला चन्दौली में अपराध संख्या 01/2020 धारा 307, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 पंजीकृत की गई और मामले की प्रविष्टि नकल कायमी जी.डी प्रदर्श क–3 पर की गई। मामले में विवेचना का कार्य प्रारम्भ हुआ। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा धारा 161 जा0फौ0 के तहत गवाहों के बयानात अंकित किए गए और घटनास्थल की नक्शानजरी प्रदर्श क–6 तैयार की गयी और मामले में विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर अभियुक्तगण धीरज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली, नीरज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली व शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह निवासी ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली के विरूद्ध धारा 307, 504 व 506 भा0द0सं0 के तहत आरोपपत्र प्रदर्श क–10 सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. न्यायालय द्वारा दिनांक 20–10–2022 को अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह को धारा 307 सपठित 34, 504 व 506(2) भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से आरोपित किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त ने उक्त विरचित आरोपों से इन्कार किया और विचारण की मॉग की।

5. अभियोजनपक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पीडब्लू–1 के रूप में वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम पुत्र चन्द्रशेखर सिंह को परीक्षण हेतु न्यायालय में पेश किया गया जिसने अपने मुख्य बयान में घटना की लिखित तहरीर को अपने लेख व हस्ताक्षर में बताते हुए उसे साबित किया है। अतः उस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। इसी प्रकार अभियोजनपक्ष द्वारा अन्य मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पीडब्लू–2 के रूप में चन्द्रसुधेर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह को, साक्षी पीडब्लू–3 के रूप में चोटहिल अर्पित कुमार सिंह पुत्र विवेक कुमार गौतम को, साक्षी पीडब्लू–4 के रूप में चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह को, साक्षी पीडब्लू–5 के रूप में भानू प्रताप सिंह पुत्र हरिवंश सिंह को परीक्षण हेतु न्यायालय में पेश किया गया जिनके बयानात न्यायालय द्वारा अंकित किए गए। इसी प्रकार अभियोजनपक्ष द्वारा अन्य मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पीडब्लू–6 के रूप में उपनिरीक्षक राम सिंह को परीक्षण हेतु न्यायालय मे पेश किया गया है जिसने अपने मुख्य बयान में मूल चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व नकल कायमी जी.डी को साबित किया है। अतः उन पर क्रमशः प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 डाले गये है। इसी प्रकार अभियोजनपक्ष द्वारा अन्य मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पीडब्लू–7 के रूप में डा0 अजय कुमार वर्मा आकस्मिक चिकित्साधिकारी वर्तमान नियुक्ति पं0 कमलापति त्रिपाठी जिला अस्पताल चन्दौली को परीक्षण हेतु न्यायालय में पेश किया गया है जिसने अपने मुख्य बयान में चोटहिल अर्पित सिंह से सम्बन्धित मेडिकोलीगल रजिस्टर की प्रमाणित प्रति को अपने लेख व हस्ताक्षर में बताते हुए उसे साबित किया है। अतः उस पर प्रदर्श क–4 डाला गया है। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–7 डा0 अजय कुमार वर्मा उपरोक्त ने अपने मुख्य बयान में बतौर प्राथमिक साक्षी चोटहिल अर्पित सिंह की पूरक रिपोर्ट को अपने लेख व हस्ताक्षर में बताते हुए उसे साबित किया है। अतः उस पर प्रदर्श क–5 डाले गये है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर नक्शानजरी बरामदगी स्थल दो अदद देशी तमन्चा, घटनास्थल की नक्शानजरी, चोटहिल अर्पित सिंह के सन्दर्भ में ट्रामा सेन्टर एवं सुपर स्पेशल्टी चिकित्सालय काशी हिन्दू विश्वविद्य

ालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का बहिरंग पत्र दिनांकित 01–01–2020 की छायाप्रति व चोटहिल अर्पित सिंह की एक्सरे रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति व आरोपपत्र उपलब्ध है जिनकी औपचारिक सत्यता अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। अतः उन पर क्रमशः प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10 डाले गये हैं। अभियोजनपक्ष की ओर से अन्य कोई मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 06–04–2026 को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा आदेशपत्र पर यह सूचित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया जाता है। अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 06–04–2026 को अभियोजनपक्ष के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। इस प्रकार अभियोजनपक्ष के साक्ष्य का अवसर समाप्त हुआ।

6. अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया जिसमें उनके द्वारा कथित घटना को गलत बताया गया और रंजिशन मुकदमा चलने की बात कहते हुए गवाहों द्वारा उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य न देने की बात कहते हुए सफाई पेश करने से इन्कार किया गया। इस प्रकार अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह के भी सफाई साक्ष्य का अवसर समाप्त हुआ।

7. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुन लिया है व पत्रावली का विस्तारपूर्वक अवलोकन कर लिया है।

निष्कर्ष

8. अभियोजनपक्ष द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कुल सात गवाह पेश किए गए हैं। अभियोजनपक्ष का यह कहना है कि वादी विवेक कुमार गौतम पुत्र चन्द्रशेखर सिंह ग्राम वरियारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली का निवासी है। उसके गांव के ग्राम प्रधान का कार्य प्रधान के देवर शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह देखते है। उसके परिवार के द्वारा उनके अवैध कार्यो की जॉच एवं सरकारी धन के दुरूपयोग के सम्बन्ध में जॉच हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया था जिसकी जॉच हुई थी इसकी वजह से धीरज सिंह व नीरज सिंह पुत्रगण रामेश्वर सिंह रंजिश रखते थे और जान से मारने की धमकी दिए थे। दिनांक 01–01–2020 को समय 5.30 बजे शाम को वह अपने पुत्र अर्पित सिंह के साथ महानन्द पाण्डेय के दुकान पर सामान लेने जा रहा था कि जैसे ही मिठाई पाण्डेय के घ ार के पास पहुंचा कि वहॉ शैलेश सिंह भी आ गये उसको देखकर गाली गुप्ता देते हुए कहने लगे कि साले उनकी जॉच करा रहे हो तुमको जिन्दा नहीं छोड़ेगे। उसने विरोध किया और गाली देने से मना किया इसी बीच नीरज सिंह व धीरज सिंह गाली गुप्ता देते हुए हाथ में असलहा लेते हुए आये और कहे कि इसे जान से मार दिया जाय यह कहते हुए नीरज सिंह ने अपने हाथ में लिए हुए कट्टे से उसको जान से मारने के लिए उसके ऊपर फायर किया परन्तु वह बाल बाल बच गया इतने में ही शैलेश सिंह ने अपने अवैध असलहे से उसके ऊपर फायर किया जेा गोली उसके पुत्र अर्पित सिंह के पैर के पंजे में लगी। इस घटना को गवाह चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह,भानु प्रताप सिंह पुत्र हरिवंश सिंह ने देखा। उपरोक्त सभी लोग गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। वह अपने लड़के को लेकर चन्दौली पं0 कमलापति त्रिपाठी चिकित्सालय गया वहॉ डाक्टर ने उपचार के बाद ट्रामा सेन्टर बी.एच.यू वाराणसी रेफर कर दिया। साक्षी पीडब्लू–1 विवेक कुमार गौतम पुत्र चन्द्रशेखर सिंह जो प्रश्नगत प्रकरण का वादी मुकदमा है, ने अपने मुख्य बयान में कहा है कि

घटना दिनांक 01–01–2020 को समय लगभग 6–6.30 बजे शाम की है। वह अपने पुत्र अर्पित सिंह के साथ गांव में महानन्द पाण्डेय की दुकान पर सामान लेने जा रहा था जैसे ही मिठाई पाण्डेय के घर के पास पहुंचे वहॉ काफी भीड़ लगी हुई थी व अन्धेरा हो रहा था। इसी बीच किसी ने फायर भीड़ में से किया जिसकी चोट उसके बेटे अर्पित के बाये पैर के पंजे में लगी थी। काफी भीड़ थी अन्धेरा हो रहा था गोली किसने चलायी उसने नहीं देखा था। इस मुकदमे के अभियुक्तगण शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह, धीरज सिंह व नीरज सिंह पुत्रगण रामेश्वर सिंह जो उसके ही गांव के रहने वाले है उन्हें उसने घटना के समय घटनास्थल पर नहीं देखा था। उसके पुत्र अर्पित सिंह को उसके पिता तुरन्त ही पं0 कमलापति त्रिपाठी अस्पताल ले गये पीछे से वह भी वहॉ पहुंचा। डाक्टर साहब ने उसे ट्रामा सेन्टर के लिए रेफर कर दिया था उसे वह उसी दिन ट्रामा सेन्टर लेकर गया। घटना के समय उसे उपरोक्त धीरज, नीरज व शैलेश ने न तो कोई गाली गुप्ता दिया था न ही जान मारने की धमकी दिया था क्योंकि उसने घटना के समय उन्हें देखा ही नहीं था। इस घटना की एफ.आई.आर उसने गांव वालो के बताने के आधार पर अपने लेख व हस्ताक्षर में तहरीर देकर थाना इलिया पर कराया था। पत्रावली में संलग्न मूल तहरीर कागज संख्या 4अ/3 ता 4अ/4 को देखकर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया गया जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–2 चन्द्रसुधेर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि घटना के जमाने में उसके गांव के ग्राम प्रधान रेनू सिंह थी। शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह उनके देवर है। उसने ग्राम प्रधान के विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र जिला मजिस्ट्रेट को दिया था जिसमें जांच के बाद उसके प्रार्थनापत्र पर जांच अधिकारी के द्वारा यह रिपोर्ट लगायी गयी कि प्रार्थनापत्र में सच्चाई नहीं है। दिनांक 01–01–2020 को वह रिश्तेदारी में जाल्हूपुर छितौनी गया था इसलिए वह नहीं बता सकता कि उस दिन शाम को उसका भाई चन्द्रशेखर सिंह महानन्द पाण्डेय के दुकान पर गये थे कि नहीं। वह यह भी नहीं बता सकता कि उस समय कोई गाली गलौज या गोली चलाने की कोई घटना हुई थी कि नहीं। वह यह भी नहीं बता सकता कि अर्पित सिंह पुत्र विवेक सिंह को चोट कैसे लगी। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–3 चोटहिल अर्पित कुमार सिंह पुत्र विवेक कुमार गौतम ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि घटना के समय उसकी उम्र करीब सात–आठ वर्ष थी। करीब पॉच वर्ष पहले की घटना है। जनवरी 2020 की घटना है खूब जाड़ा पड़ रहा था शाम का समय था, अन्धेरा हो रहा था कोई बिजली का प्रकाश नहीं था। आकस्मात आवाज धॉय से सुनाई पड़ी और उसके बाये पैर के पंजे में चोट लग गयी खून बहने लगा। उसे उसके दादा अस्पताल ले गये थे। वाराणसी में उसका ईलाज हुआ पुनः दो दिन बाद उसके पिता जी विवेक सिंह जी उसे लेकर चन्दौली अस्पताल आये जहॉ डाक्टर साहब ने उसकी चोटों को देखा। यह पूछे जाने पर कि डाक्टर साहब ने उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया कि नहीं तो गवाह ने कहा कि वह नहीं बता सकता। वह नहीं बता सकता कि उसे गोली की चोट लगी या किस चीज की चोट लगी लेकिन उसे चोट लगी थी और धॉय की आवाज के बाद ही उसे चोट लगी थी जिस समय उसे चोट लगी थी उस समय उसके गांव के शैलेश सिंह, नीरज सिंह व धीरज सिंह उस स्थान पर थे कि नहीं थे वह नहीं बता सकता। वह यह भी नहीं बता सकता कि कट्टे से शैलेश सिंह या किसी ने कोई गोली चलायी या नहीं। अन्धेरा था उसने किसी को देखा पहचाना नहीं। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–4 चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि उसके पौत्र का

नाम अर्पित सिंह है। अर्पित सिंह के पिता का नाम विवेक कुमार गौतम है। सन् 2020 में जनवरी माह की पहली तारीख को शाम को उसके गांव में मिठाई पाण्डेय के घर के पास उसके पौत्र अर्पित सिंह के बाये पैर में चोट लग गयी थी उस समय वह अपने घर पर था। सूचना पाकर वह वहॉ गया और अपने पौत्र को लेकर पं0 कमलापति त्रिपाठी अस्पताल चन्दौली आया जहॉ से उसे ट्रामा सेन्टर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया जहॉ उसका इलाज हुआ। वह घटना के समय महानन्द पाण्डेय के दुकान पर नहीं था बल्कि अपने घर पर था। उसने अपनी ऑख से अर्पित को चोट लगने की घटना को नहीं देखा था। उसने घटना नहीं देखी थी। वह जब घटनास्थल पर पहुंचा तो वहीं भीड़ में से किसी ने बताया था जिसके आधार पर उसने डाक्टर साहब को गोली लगने पर चोट आयी ऐसी बात बतायी। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–5 भानू प्रताप सिंह पुत्र हरिवंश सिंह ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि दिनांक 01–01–2020 को शाम को वह अपने रिश्तेदारी में गया था वह गांव में नहीं था इसलिए उस दिन शाम को मिठाई पाण्डेय के घर के पास कोई घटना घटित हुई या नहीं वह नहीं बता सकता। उस दिन शाम को उसने शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह, नीरज सिंह व धीरज सिंह के द्वारा विवेक सिंह को साले को गोली मार दो जिन्दा मत छोड़ो, की बात कहते हुए नहीं सुना था। चूंकि वह गांव पर नहीं था इसलिए उसने यह भी नहीं देखा था कि नीरज द्वारा विवेक पर गोली चलायी गयी थी या नहीं। उसने शैलेश सिंह के द्वारा भी विवेक पर गोली चलाते हुए नहीं देखा था। उसे यह भी नहीं पता कि अर्पित सिंह के पैर में किस चीज से चोट लगी थी। उसने शैलेश सिंह, धीरज सिंह व नीरज सिंह के द्वारा विवेक कुमार सिंह को गाली देते हुए या जान से मारने की धमकी देते हुए नहीं देखा था। चॅूकि वह घर पर मौजूद नहीं था इसलिए वह अर्पित के चोटिल होने पर उसके इलाज हेतु अस्पताल भी नहीं गया था। पत्रावली पर चोटहिल अर्पित सिंह की पूरक रिपोर्ट दिनांकित 03–01–2020 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श क–5 के रूप में उपलब्ध है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त चोटहिल अर्पित सिंह दिनांक 01–01–2020 को समय 6.30 पी.एम पर पं0 कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय चन्दौली के इमरजेंसी रूम में इलाज हेतु गया था और ई.ओ.पी.डी के रजिस्टर के क्रम संख्या 12 पर इसकी प्रविष्टि की गयी और अरजेंसी को देखते हुए उसे बी.एच.यू ट्रामा सेन्टर प्राथमिक उपचार करने के बाद रेफर किया गया और उस समय चोटहिल को आई चोटें नोट नहीं की गयी थी और बी.एच.यू के चिकित्सक द्वारा फटे हुए घाव का आकार 2.00 से.मी. गुणे 2.00 से.मी. बाये पैर के डार्सम पर और 2.00 से.मी. गुणे 1.00 से.मी. बाये पैर के वेन्ट्रल आक्सपेट पर पाया जाना लिखा गया है। अब यह देखना है कि अभियोजनपक्ष अपने साक्ष्यों के माध्यम से अभियोजन कथानक को साबित करने में सफल हो रहा है अथवा नहीं। साक्षी पीडब्लू–1 विवेक कुमार गौतम पुत्र चन्द्रशेखर जो प्रश्नगत प्रकरण का वादी मुकदमा है, ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि घटना दिनांक 01–01–2020 को समय लगभग 6–6.30 बजे शाम की है। वह अपने पुत्र अर्पित सिंह के साथ गांव में महानन्द पाण्डेय की दुकान पर सामान लेने जा रहा था जैसे ही मिठाई पाण्डेय के घर के पास पहुंचे वहॉ काफी भीड़ लगी हुई थी व अन्धेरा हो रहा था। इसी बीच किसी ने फायर भीड़ में से किया जिसकी चोट उसके बेटे अर्पित के बाये पैर के पंजे में लगी थी। काफी भीड़ थी अन्धेरा हो रहा था गोली किसने चलायी उसने नहीं देखा था। इस मुकदमे के अभियुक्तगण शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह, धीरज सिंह व नीरज सिंह पुत्रगण रामेश्वर सिंह जो उसके ही गांव के रहने वाले है उन्हें उसने घटना के समय घटनास्थल पर नहीं देखा था। उसके पुत्र

अर्पित सिंह को उसके पिता तुरन्त ही पं0 कमलापति त्रिपाठी अस्पताल ले गये पीछे से वह भी वहॉ पहुंचा। डाक्टर साहब ने उसे ट्रामा सेन्टर के लिए रेफर कर दिया था उसे वह उसी दिन ट्रामा सेन्टर लेकर गया। घटना के समय उसे उपरोक्त धीरज, नीरज व शैलेश ने न तो कोई गाली गुप्ता दिया था न ही जान मारने की धमकी दिया था क्योंकि उसने घटना के समय उन्हें देखा ही नहीं था। इस घटना की एफ.आई.आर उसने गांव वालो के बताने के आधार पर अपने लेख व हस्ताक्षर में तहरीर देकर थाना इलिया पर कराया था। इस प्रकार साक्षी पीडब्लू–1 विवेक कुमार गौतम पुत्र चन्द्रशेखर सिंह के उक्त मुख्य बयान से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक 01–01–2020 को समय लगभग 6–6.30 बजे शाम की है। वह अपने पुत्र अर्पित सिंह के साथ गांव में महानन्द पाण्डेय की दुकान पर सामान लेने जा रहा था जैसे ही मिठाई पाण्डेय के घर के पास पहुंचे वहॉ काफी भीड़ लगी हुई थी व अन्धेरा हो रहा था। इसी बीच किसी ने फायर भीड़ में से किया जिसकी चोट उसके बेटे अर्पित के बाये पैर के पंजे में लगी थी। काफी भीड़ थी अन्धेरा हो रहा था गोली किसने चलायी उसने नहीं देखा था। इस मुकदमे के अभियुक्तगण शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह, धीरज सिंह व नीरज सिंह पुत्रगण रामेश्वर सिंह जो उसके ही गांव के रहने वाले है उन्हें उसने घटना के समय घ ाटनास्थल पर नहीं देखा था। अतः सन्देह से परे यह नहीं कहा जा सकता कि प्रश्नगत घटना अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह द्वारा ही कारित की गयी होगी क्योंकि अन्धेरे में वह भीड़–भाड़ का लाभ उठाते हुए प्रश्नगत घटना भीड़ के किन्हीं अन्य सदस्यों के द्वारा ही कारित कर दी गयी हो। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–1 विवेक कुमार गौतम पुत्र चन्द्रशेखर सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह द्वारा अभियोजनपक्ष में अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान से इन्कार करते हुए यह कहा है कि उसने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने उसका यह बयान कैसे लिख लिया वह नहीं जानता। इससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध जाहिर होता है। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–1 विवेक कुमार गौतम पुत्र चन्द्रशेखर सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह द्वारा अभियोजनपक्ष में यह कहा है कि चन्द्रशेखर सिंह, भानु प्रताप सिंह व चन्द्रसुधेर सिंह घटनास्थल पर घटना के कुछ समय बाद पहुॅचे थे और उक्त तीनों व्यक्ति उसके परिवार के हैं और घटना को अपनी ऑखो से नहीं देखे थे। इससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध जाहिर होता है और सन्देह से परे यह नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 01–01–2020 को समय लगभग 5.30 बजे शाम को मिठाई पाण्डेय के घर के पास स्थित ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जिला चन्दौली में अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम व उसके पुत्र अर्पित सिंह को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिए होंगे और नीरज सिंह कट्टे से वादी विवेक कुमार गौतम के ऊपर जान से मारने के लिए व अभियुक्त शैलेश सिंह जान से मारने के लिए वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम के ऊपर अपने अवैध कट्टे से फायर किया होगा और गोली अर्पित सिंह के बाये पैर के पंजे में लगी होगी क्योंकि भीड़–भाड़ व अन्धेरे में हो सकता है कि अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह के अलावा भीड़ के किन्हीं अन्य सदस्यों द्वारा वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम व उसके पुत्र अर्पित सिंह को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गयी हो और वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम को जान से मारने के लिए उसके उपर कट्टे से फायर कर दिया गया हो और गोली अर्पित सिंह के बाये पैर के पंजे में लग गयी हो। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–1 विवेक कुमार गौतम पुत्र चन्द्रशेखर सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह द्वारा अभियोजनपक्ष में यह कहा है कि

धीरज सिंह व नीरज सिंह उसे जान से मारने की धमकी नहीं दिए थे। घटना के समय धीरज सिंह नीरज सिंह व शैलेश सिंह ने उसे गाली गुप्ता नहीं दिया था क्योंकि उसने उन्हें घटना स्थल पर नहीं देखा था। इससे भी सन्देह से परे यह नहीं कहा जा सकता कि प्रश्नगत घटना अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह द्वारा ही की गयी होगी। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–1 विवेक कुमार गौतम पुत्र चन्द्रशेखर सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह द्वारा अभियोजनपक्ष में यह कहा है कि दरोगा जी नक्शानजरी उसके सामने नहीं बनाये थे जिस समय घटना घटी थी उस समय बिजली कटी हुई थी। अभियुक्तगण नीरज सिंह व शैलेश सिंह के बताने पर दरोगा जी के द्वारा कोई कट्टा या असलहा बरामद हुआ था या नहीं इसकी उसे जानकारी नहीं है। इससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध जाहिर होता है। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–1 विवेक कुमार गौतम पुत्र चन्द्रशेखर सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह द्वारा अभियुक्तगण में यह कहा है कि जिस समय घटना घटी उस समय अन्धेरा हो गया था। घटनास्थल पर उसने इस मुकदमे के अभियुक्तगण नीरज सिंह, धीरज सिंह व शैलेश सिंह को नहीं देखा था भीड़–भाड़ थी गोली चलने जैसे आवाज हुई। उसके पुत्र के पैर में चोट लगी थी। जहॉ बाद में वह भी पहुॅचा। दूसरे दिन गांव पर आया तो कुछ लोगों के बताने के आधार पर उसने मुल्जिमानों के विरूद्ध एफ.आई.आर लिखाने थाने गया तो दीवान जी ने जैसा बोला वैसा लिखकर तहरीर दे दिया। यह सही है कि तहरीर में जैसी घटना लिखी है वह बताये जाने व दीवान जी के द्वारा बोले जाने के आधार पर लिखी गयी है। यह सही है कि मुल्जिमानों को घटना कारित करते हुए उसने अपनी ऑख से नहीं देखा था कुछ लोगों के बताने के आधार पर उसने मुल्जिमान के विरूद्ध एफ.आई.आर दीवान जी के बोलने पर दर्ज करायी है। सच यह है कि घटनास्थल पर मुल्जिमानों को नहीं देखा था। इससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध जाहिर होता है और सन्देह से परे यह नहीं कहा जा सकता कि प्रश्नगत घटना अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह द्वारा ही कारित की गयी होगी। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–2 चन्द्रसुधेर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह जिसे घटना का चश्मदीद गवाह कहा जाता है, ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि घटना के जमाने में उसके गांव के ग्राम प्रधान रेनू सिंह थी। शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह उनके देवर है। उसने ग्राम प्रधान के विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र जिला मजिस्ट्रेट को दिया था जिसमें जांच के बाद उसके प्रार्थनापत्र पर जांच अधिकारी के द्वारा यह रिपोर्ट लगायी गयी कि प्रार्थनापत्र में सच्चाई नहीं है। दिनांक 01–01–2020 को वह रिश्तेदारी में जाल्हूपुर छितौनी गया था इसलिए वह नहीं बता सकता कि उस दिन शाम को उसका भाई चन्द्रशेखर सिंह महानन्द पाण्डेय के दुकान पर गये थे कि नहीं। वह यह भी नहीं बता सकता कि उस समय कोई गाली गलौज या गोली चलाने की कोई घटना हुई थी कि नहीं। वह यह भी नहीं बता सकता कि अर्पित सिंह पुत्र विवेक सिंह को चोट कैसे लगी। इस प्रकार साक्षी पीडब्लू–2 चन्द्रसुधेर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह के उक्त मुख्य बयान से स्पष्ट है कि प्रश्नगत घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और वह अपनी रिश्तेदारी में जाल्हूपुर छितौनी गया था और उसने अपनी ऑख से कोई घटना नहीं देखी। इससे भी सन्देह से परे यह नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 01–01–2020 को समय लगभग 5.30 बजे शाम को मिठाई पाण्डेय के घर के पास स्थित ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जिला चन्दौली में अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम व उसके पुत्र अर्पित सिंह को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिए होंगे और नीरज सिंह कट्टे से वादी विवेक कुमार गौतम के ऊपर जान से

मारने के लिए व अभियुक्त शैलेश सिंह जान से मारने के लिए वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम के ऊपर अपने अवैध कट्टे से फायर किया होगा और गोली अर्पित सिंह के बाये पैर के पंजे में लगी होगी। साक्षी पीडब्लू–2 चन्द्रसुधेर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह द्वारा अभियोजनपक्ष में अपने धारा 161 जा0फौ0 के बयान से इन्कार करते हुए यह कहा है कि उसने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने उसका यह बयान कैसे लिख लिया वह नहीं बता सकता। इससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध जाहिर होता है। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–3 अर्पित कुमार सिंह पुत्र विवेक कुमार गौतम जो प्रश्नगत प्रकरण का चोटहिल है और साक्ष्य देने हेतु सक्षम पाया गया है, ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि घटना के समय उसकी उम्र करीब सात–आठ वर्ष थी। करीब पॉच वर्ष पहले की घटना है। जनवरी 2020 की घटना है खूब जाड़ा पड़ रहा था शाम का समय था, अन्धेरा हो रहा था कोई बिजली का प्रकाश नहीं था। आकस्मात आवाज धॉय से सुनाई पड़ी और उसके बाये पैर के पंजे में चोट लग गयी खून बहने लगा। उसे उसके दादा अस्पताल ले गये थे। वाराणसी में उसका ईलाज हुआ पुनः दो दिन बाद उसके पिता जी विवेक सिंह जी उसे लेकर चन्दौली अस्पताल आये जहॉ डाक्टर साहब ने उसकी चोटों को देखा। यह पूछे जाने पर कि डाक्टर साहब ने उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया कि नहीं तो गवाह ने कहा कि वह नहीं बता सकता। वह नहीं बता सकता कि उसे गोली की चोट लगी या किस चीज की चोट लगी लेकिन उसे चोट लगी थी और धॉय की आवाज के बाद ही उसे चोट लगी थी जिस समय उसे चोट लगी थी उस समय उसके गांव के शैलेश सिंह, नीरज सिंह व धीरज सिंह उस स्थान पर थे कि नहीं थे वह नहीं बता सकता। वह यह भी नहीं बता सकता कि कट्टे से शैलेश सिंह या किसी ने कोई गोली चलायी या नहीं। अन्धेरा था उसने किसी को देखा पहचाना नहीं। इस प्रकार साक्षी पीडब्लू–3 अर्पित कुमार सिंह पुत्र विवेक कुमार गौतम के उक्त मुख्य बयान से यह स्पष्ट है कि जिस समय उसे चोट लगी उस समय उसके गांव के शैलेश सिंह, नीरज सिंह व धीरज सिंह उस स्थान पर थे कि नहीं वह नहीं बता सकता। वह यह भी नहीं बता सकता कि कट्टे से शैलेश सिंह या किसी ने गोली चलायी या नहीं अन्धेरा था उसने किसी को देखा पहचाना नहीं। इससे भी अभियोजन कथानक सही जाहिर नहीं होता है और सन्देह से परे यह नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 01–01–2020 को समय लगभग 5.30 बजे शाम को मिठाई पाण्डेय के घर के पास स्थित ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जिला चन्दौली में अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह ही वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम व उसके पुत्र अर्पित सिंह को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिए होंगे और नीरज सिंह कट्टे से वादी विवेक कुमार गौतम के ऊपर जान से मारने के लिए व अभियुक्त शैलेश सिंह जान से मारने के लिए वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम के ऊपर अपने अवैध कट्टे से फायर किया होगा और गोली अर्पित सिंह के बाये पैर के पंजे में लगी होगी क्योंकि हो सकता है कि अन्धेरे का लाभ उठाकर उक्त घटना अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह के अलावा किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा ही कारित कर दी गयी हो। साक्षी पीडब्लू–3 अर्पित कुमार सिंह पुत्र विवेक कुमार गौतम ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह द्वारा अभियोजनपक्ष में यह कहा है कि दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। इससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध जाहिर होता है। साक्षी पीडब्लू–3 अर्पित कुमार सिंह पुत्र विवेक कुमार गौतम ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह द्वारा अभियोजनपक्ष में अपने धारा 161 जा0फौ0 के बयान से इन्कार करते हुए यह कहा है

कि उसने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने उसका यह बयान कैसे लिख लिया इसका कारण वह नहीं बता सकता। इससे भी अभियोजन कथानक सही जाहिर नहीं होता है और संदिग्ध प्रतीत होता है। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–3 अर्पित कुमार सिंह पुत्र विवेक कुमार गौतम ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह द्वारा अभियुक्तगण में यह कहा है कि मुल्जिमान धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह उसके गांव के है। वह इनको जानता है इन्होंने घटना के समय न तो गोली चलायी थी न उसने इन्हें घटनास्थल पर देखा था। इससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध जाहिर होता है और सन्देह से परे यह नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 01–01–2020 को समय लगभग 5.30 बजे शाम को मिठाई पाण्डेय के घर के पास स्थित ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जिला चन्दौली में अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह ही वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम व उसके पुत्र अर्पित सिंह को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिए होंगे और नीरज सिंह कट्टे से वादी विवेक कुमार गौतम के ऊपर जान से मारने के लिए व अभियुक्त शैलेश सिंह जान से मारने के लिए वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम के ऊपर अपने अवैध कट्टे से फायर किया होगा और गोली अर्पित सिंह के बाये पैर के पंजे में लगी होगी। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–4 चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह जिसे घटना का चश्मदीद गवाह कहा जाता है, ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि उसके पौत्र का नाम अर्पित सिंह है। अर्पित सिंह के पिता का नाम विवेक कुमार गौतम है। सन् 2020 में जनवरी माह की पहली तारीख को शाम को उसके गांव में मिठाई पाण्डेय के घर के पास उसके पौत्र अर्पित सिंह के बाये पैर में चोट लग गयी थी उस समय वह अपने घर पर था। सूचना पाकर वह वहॉ गया और अपने पौत्र को लेकर पं0 कमलापति त्रिपाठी अस्पताल चन्दौली आया जहॉ से उसे ट्रामा सेन्टर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया जहॉ उसका इलाज हुआ। वह घटना के समय महानन्द पाण्डेय के दुकान पर नहीं था बल्कि अपने घर पर था। उसने अपनी ऑख से अर्पित को चोट लगने की घटना को नहीं देखा था। उसने घटना नहीं देखी थी। वह जब घटनास्थल पर पहुंचा तो वहीं भीड़ में से किसी ने बताया था जिसके आधार पर उसने डाक्टर साहब को गोली लगने पर चोट आयी ऐसी बात बतायी। इस प्रकार साक्षी पीडब्लू–4 चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह के उक्त मुख्य बयान से यह स्पष्ट है कि घटना के समय वह घ ाटनास्थल पर मौजूद नहीं था और घटना के समय वह अपने घर पर था और उसने घ ाटना नहीं देखी और उसने अपनी ऑख से अर्पित को चोट लगने की घटना को नहीं देखा था और इस प्रकार साक्षी पीडब्लू–4 चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह घ ाटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। इससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध जाहिर होता है और सही प्रतीत नहीं होता है तथा सन्देह से परे यह नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 01–01–2020 को समय लगभग 5.30 बजे शाम को मिठाई पाण्डेय के घर के पास स्थित ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जिला चन्दौली में अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह ही वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम व उसके पुत्र अर्पित सिंह को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिए होंगे और नीरज सिंह कट्टे से वादी विवेक कुमार गौतम के ऊपर जान से मारने के लिए व अभियुक्त शैलेश सिंह जान से मारने के लिए वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम के ऊपर अपने अवैध कट्टे से फायर किया होगा और गोली अर्पित सिंह के बाये पैर के पंजे में लगी होगी। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–4 चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह द्वारा अभियोजनपक्ष में यह कहा है कि दरोगा जी ने उसका कोई बयान

नहीं लिया था। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–4 चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 विन्ध्याचल सिंह अपने बयान अन्तर्गत जिरह द्वारा अभियोजनपक्ष में अपने धारा 161 जा0फौ0 के बयान से इन्कार करते हुए यह कहा है कि उसने दरोगा जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने उसका यह बयान कैसे लिख लिया इसकी वजह वह नहीं बता सकता। इससे भी अभियोजन कथानक सही जाहिर नहीं होता है और संदिग्ध प्रतीत होता है। साक्षी पीडब्लू–5 भानु प्रताप सिंह पुत्र हरिवंश सिंह जिसे घटना का चश्मदीद गवाह कहा गया है, ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि दिनांक 01–01–2020 को शाम को वह अपने रिश्तेदारी में गया था वह गांव में नहीं था इसलिए उस दिन शाम को मिठाई पाण्डेय के घर के पास कोई घटना घटित हुई या नहीं वह नहीं बता सकता। उस दिन शाम को उसने शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह, नीरज सिंह व धीरज सिंह के द्वारा विवेक सिंह को साले को गोली मार दो जिन्दा मत छोड़ो, की बात कहते हुए नहीं सुना था। चूंकि वह गांव पर नहीं था इसलिए उसने यह भी नहीं देखा था कि नीरज द्वारा विवेक पर गोली चलायी गयी थी या नहीं। उसने शैलेश सिंह के द्वारा भी विवेक पर गोली चलाते हुए नहीं देखा था। उसे यह भी नहीं पता कि अर्पित सिंह के पैर में किस चीज से चोट लगी थी। उसने शैलेश सिंह, धीरज सिंह व नीरज सिंह के द्वारा विवेक कुमार सिंह को गाली देते हुए या जान से मारने की धमकी देते हुए नहीं देखा था। चॅूकि वह घर पर मौजूद नहीं था इसलिए वह अर्पित के चोटिल होने पर उसके इलाज हेतु अस्पताल भी नहीं गया था। इस प्रकार साक्षी पीडब्लू–5 भानु प्रताप सिंह पुत्र हरिवंश सिंह के उक्त मुख्य बयान से यह स्पष्ट है कि वह प्रश्नगत घ ाटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और प्रश्नगत घटना के समय वह अपनी रिश्तेदारी में गया था और गांव में नहीं था और उसने प्रश्नगत घटना को अपनी ऑखो से नहीं देखा है। इससे भी अभियोजन कथानक सही जाहिर नहीं होता है और संदिग्ध प्रतीत होता है और सन्देह से परे यह नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 01–01–2020 को समय लगभग 5.30 बजे शाम को मिठाई पाण्डेय के घर के पास स्थित ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जिला चन्दौली में अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह ही वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम व उसके पुत्र अर्पित सिंह को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिए होंगे और नीरज सिंह कट्टे से वादी विवेक कुमार गौतम के ऊपर जान से मारने के लिए व अभियुक्त शैलेश सिंह जान से मारने के लिए वादी मुकदमा विवेक कुमार गौतम के ऊपर अपने अवैध कट्टे से फायर किया होगा और गोली अर्पित सिंह के बाये पैर के पंजे में लगी होगी। साक्षी पीडब्लू–5 भानु प्रताप सिंह पुत्र हरिवंश सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह द्वारा अभियोजनपक्ष में यह कहा है कि दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–5 भानु प्रताप सिंह पुत्र हरिवंश सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह द्वारा अभियोजनपक्ष में अपने धारा 161 जा0फौ0 के बयान से इन्कार करते हुए यह कहा है कि उसने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने उसका यह बयान कैसे लिख लिया इसकी कोई वजह वह नहीं बता सकता। इससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध जाहिर होता है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में चोटहिल अर्पित कुमार के बाये पैर के पंजे के पास चोट तो लगी हुई है और यह चोट फायर आर्म की होना बतायी गयी है परन्तु यह चोट अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह द्वारा ही पहुंचाई गयी है इसका कोई भी मौखिक साक्ष्य अभियोजन कथानक के समर्थन में पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अभियोजनपक्ष के द्वारा चोटहिल अर्पित कुमार के सन्दर्भ में प्रस्तुत चिकित्सीय प्रपत्रों व

अभियोजनपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्यों को अभियोजनपक्ष के मौखिक साक्ष्यों से कोई समर्थन व बल प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार अभियोजनपक्ष द्वारा जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उनके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर हूॅ कि अभियोजनपक्ष अपने केस को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है भले ही अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा अभियोजनपक्ष के कुछ औपचारिक प्रपत्रों की सत्यता स्वीकार कर ली गयी है। अतः अभियुक्तगण विरचित आरोपों से दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

9. अभियुक्तगण धीरज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली, नीरज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली व शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह निवासी ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली को सत्र परीक्षण संख्या 580/2022 अपराध संख्या 01/2020, धारा 307 सपठित धारा 34, 504 व 506(2) भारतीय दण्ड संहिता थाना इलिया जिला चन्दौली के तहत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त जमानत पर है उनके जमानतनामें तथा बन्धनामें निरस्त किये जाते है तथा उनके–उनके प्रतिभूगण को उनके–उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह व शैलेश सिंह उपरोक्त धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मु0 बीस–बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की एक–एक प्रतिभू बीस दिन के अन्दर न्यायालय में दाखिल करें।

दिनांक 30–04–2026

(दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक 30–04–2026
स्टेनो– संजीत सिंह

(दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।
J.O.Code.U.P.5730